ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-7* August- 2017
Innovation The Research Concept

हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा क्यों?

रूबी जुत्सी
सहायक अध्यापक,
हिन्दी विभाग,
कश्मीर विश्वविद्यालय,
श्रीनगर

सारांश

भारत देश में अनुमानतः 370 से अधिक बोलियों बोली जाती और 130 से अधिक भाषाओं में लिखित साहित्य प्राप्त होता है। साथ ही 22 भाषाओं को स्वतन्त्र भार के संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त हुई है, ऐसी स्थिति में कश्मीर से कन्याकुमारी तथा पूर्व से पश्चिम तक के विशाल भू–भाग के जनमानस को एक–दूसरे से परिचित कराने का जो कार्य हिन्दी ने किया वह किसी अन्य भाषा ने नहीं किया है। इस सम्बन्ध में सर जार्ज अब्राहम का कथन है कि हिन्दी एक ऐसी भाषा है जिससे विभिन्न प्रान्तों के लोग आपस में बातचीत कर सकते है, पूरे भारत में सर्वत्र समझी जाती है। इस भाषा को अधिकांश जनसंख्या चाहे वह साक्षर हो या निरक्षर इसे समझती है। कारण यह है कि भारत में हिन्दी क्षेत्र अधिक विस्तृत है जिसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखण्ड प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार राज्य आते हैं। गौण रूप में महाराष्ट्र के कुछ भाग तथा पंजाब के अबोहर व काजिल्का इलाके भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अन्य क्षेत्र के अन्तर्गत कर्नाटक और आंध्रप्रदेश दक्खिनी हिन्दी वाले क्षेत्र आते हैं, कलकत्ता, शिलांग, मुम्बई, अहमदाबाद, भारत के वे महानगर हैं जहॉ हिन्दी भाषी क्षेत्र में भी कुछ हिन्दी भाषी छोटे–छोटे रूप में बिखरे पड़े हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कलकत्तिया हिंदी या मुम्बई हिन्दी के नमूने इस भाषा क्षेत्र के अंतर्गत समाकलित किये जाते हैं। अतः पश्चिमी हिन्दी, में कौरवी अर्थात् खड़ीबोली वास्तव में हिन्दी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बंदेलखण्डी, कन्नौजी, पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत पश्चिमी राजस्थानी (मारवाड़ी) पूर्वी राजस्थानी (मालवी) पहाड़ी के अन्तर्गत पश्चिमी पहाड़ी मध्यवर्ती पहाड़ी (कुमायूनी, गढ़वाली) बिहारी के दायरे में भोजपुरी, मगही तथा मैथिली आती है इस तरह हिन्दी की अपनी सत्रह बोलियॉ हैं और डॉ0 भोलानाथ तिवारी ने ताजुब्बेकी तथा निमाडी मिलकर उन्नीस बोलियॉ मानी हैं। यही कारण रहा है कि यह भाषा भारत में अधिक बोली भी जाती है और समझी भी जाती है।

मुख्य शब्द : जनसंख्या, भाषा,

प्रस्तावना

हिन्दी न केवल जन–संचार की दृष्टि से लोकप्रिय रही है बल्कि जन–व्यवहार में उपयोगी की दृष्टि से सक्षम माध्यम रही है। सदियों से भारत के जन–जीवन में हिन्दी का प्रचलन रहा है। पुराने सन्धि यन्त्रों, शिलालेखों, राजनीतिक दस्तावेजों, व्यापारिक तथा अदालती कागज–पत्रों में भी इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार राष्ट्रभाषा हिन्दी को गौरवपूर्ण स्थान दिया गया जिसके अनुसार हिन्दी राजभाषा के रूप में सरकारी कामकाज की भाषा के पद पर स्थापित हुई।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शीर्षक पर कई बार वाद–विवाद हो चुका है किन्तु फिर भी अन्य लोगों के मन में अनेक प्रकार की शाखाएं उत्पन्न हुई है या हो रही है। इन शाखाओं की जड़ काटने के लिए यह लेख लिखा गया है। इसमें मुख्य सन्देश यही है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी इसलिए नहीं कि यहॉ केवल हिन्दु रहते हैं बल्कि इस भाषा को हिन्दोस्तान में अधिक बोलने वाले पाये जाते हैं यही मुख्य कारण है कि यह हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं राजभाषा के रूप में भी मान्य है।

हिन्दी के विद्वान व महान साहित्यकार गुलाब खंडेलवाल का कहना है देश की युवा पीढ़ी अपनी राष्ट्रीय भाषा से दूर होती जा रही है और चारों ओर अंग्रेंजी प्रचलन बढ़ रहा है, चिंता का विषय है।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का श्रेय अहिन्दी भाषा प्रदेश के नेता ही प्रथम पंक्ति में थे। राष्ट्रभाषा हिन्दी की उदार कल्पना बंगाल के श्री केशवचन्द्र सेन, जिन्होंने सन् 1873 पत्र 'सुलभ समाचार' (बंगाली) में लिखा–

''यदि भाषा एक न होने पर भारतवर्ष में एक भाषा का प्रयोग करना इसका उपाय है। इस समय भारत में जितनी भी भाषायें प्रचलित हैं, उनमें हिन्दी प्रायः सर्वत्र प्रचलित है। इस हिन्दी भाषा को यदि भारतवर्ष की एक मात्र भाषा बनाया जाए तो अनायास ही (यह एकता) शीघ्र ही सम्पन्न हो सकती है।''

अतः राष्ट्रवाणी के रूप में हिन्दी की घोषणा कर उसके व्यापक प्रचार के लिए ठोस कदम उठाने वाले सभी अहिन्दी भाषी थे। कांग्रेस के लोक प्रिय नेता हिन्दी के प्रबल समर्थक थे। देश की एकता के लिए एक भाषा का होना जितना आवश्यक है, उससे अधिक आवश्यक है देश भर के लोगों में देश के प्रति विशुद्ध प्रेम तथा अपनापन होना अगर आज हिन्दी भाषा मान ली गई है तो वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रान्त विशेष की भाषा है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यापकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा हो सकती है। (राकेश चतुर्वेदी, श्री जय लाल शुक्ल, हिन्दी संघर्ष और आयामः विकास प्रकाशन कानपुर 2012 के संदर्भ में)।

राजभाषा हिन्दी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुदृढ़ बना सकेगी' डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद तमिलनाडु की संविधान सभा के माननीय सदस्य गोपाल आयंगार ने प्रस्ताव रखा था कि हिन्दी को राजकीय भाषा और प्रशासकीय भाषा का दर्जा दिया जाए, जरूरत समझने की है कि भाषा हमारी जातिगत पहचान है। हमारी संस्कृतिक विरासत उससे सुरक्षित रहती है। गॉधी ने कहा था 'लाखों लोगों को जबरदस्ती अंग्रेजों का ज्ञान कराना भी उन्हें गुलाम बनाना है।' सोच कर देखें क्या आज भी हम अंग्रेजी की दासता से मुक्त हो पाए हैं.....? तो फिर हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहने का क्या अर्थ है.....?

निष्कर्ष

श्रीमती एनीबेसेन्ट ने कहा था, 'हिन्दी जानने वाला आदमी सम्पूर्ण भारतवर्ष में मिल सकता है और वह भारत भर में यात्रा कर सकता है।' भारतीय भाषा विशेषज्ञ जार्ज ग्रियर्सन महोदय ने हिन्दी को भारत की सामान्य भाषा कहा है। समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने सन् 1829 में बंगदूत का प्रकाशन प्रारंभ किया। स्वामी दयानन्द सरस्वती महान समाज सुधारक और धर्म सुधारक के अतिरिक्त आर्य भाषा हिन्दी के उद्धारकों में एक थे। वे हिन्दी को राष्ट्र आत्मोन्नति का आधार समझते थे। गॉधी जी की प्रेरणा से सन् 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में हिन्दी पर बल दिया गया। मद्रास नेता टी0 राजगोपालचारी ने'– लोगों को हिन्दी सीखने के लिए प्रेरित किया। गॉधी जी के प्रयास से ही वर्धा व मद्रास में राष्ट्र भाषा प्रचार सभाऍ स्थापित हुई हैं। इन्हीं सच्चाईयों के कारण हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। जिन साहित्यकारों, राजनेताओं, समाज सुधारकों, संप्रदायों के मन में किसी भी प्रकार की शंखा है वह यह जान लें कि इस रहस्य की पीछे कुछ ओर नहीं केवल इस भाषा के बोलने देश में अधिक है। अंत में हिन्दी साहित्यकारों हिन्दी प्रेमियों तक इस पंक्ति को पहुँचाना अपना परम धर्म समझती हूँ क्योंकि हिन्दी से मेंरी जीविका चलती है। ''न समझोगे हिन्दी प्रेमियों तो मिट जाओगे अवश्य तुम्हारा साहित्य तक न रह जाएगा, ऐ हिन्दी साहित्य लिखने वालो''।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *उपकार यू0 जी0 सी0– डॉ0 कुमार गणेश।*
2. *हिन्दी भाषा– डॉ0 हरदेव बिहारी।*
3. *हिन्दी भाषा– भोलानाथ तिवारी*
4. *वितस्ता (पत्रिका)*
5. *हिन्दी का अतीत एवं वर्तमानः डॉ0 रूबी जुत्शी।*

पाद टिप्पणी

1. *महेन्द्र शर्माः हिन्दी भाषा : विकास के सोपानः संजय प्रकाशन, नई दिल्ली के सन्दर्भ में।*
2. *राकेश चतुर्वेदी, श्री जय लाल शुक्ल, हिन्दी संघर्ष और आयाम,विकास प्रकाशन, कानपुर 2012 के सन्दर्भ में।*
3. *हिन्दी अभ्यास पुस्तिका, पृः 235,236,।*